



आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रलिस के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत का नयलतुरक और महालेखा- परीकषक (CAG), सामाजकल-आरुथकल जातगत जनगणना (SECC), स्वास्थय बीमा योजना

मेनुस के लयल:

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इससे संबधतल मुददे और आगे की राह

चरुा में क्युँ?

हाल ही में भारत के नयलतुरक और महालेखा-परीकषक (Comptroller and Auditor-General of India- CAG) की प्रदरुशन ऑडलट रपुलरुट ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana- PMJAY) में अनयलमतलताओं को उजागर कयलल है ।

CAG द्वाारा उजागर कयल गए मुददे:

- मृत मरीजुँ का उपचार:
 - जनल मरीजुँ को पहले "मृत" दखलया गया था, वे भी इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाते रहे ।
 - ऐसे सबसे ज़यादा मामले छतुतीसगदु, हरयलणा, झारखंड में थे और सबसे कम मामले अंडमान और नकलबार द्वालप समूह, असम तथा चंडीगदु से थे ।
 - इस योजना के तहत नरुदषलट उपचार के दुरान 88,760 रोगयलुँ की मृत्यु हो गई । इन रोगयलुँ के संबध में नए उपचार से संबधतल कुल 2,14,923 दावुँ को ससल्टम में भुगतान के रूप में दखलया गया है ।
- अवास्तवकल घरेलु आकार:
 - ऐसे उदाहरण हैं जहलुँ पंजीकृत घर का आकार असामान्य रूप से बड़ा, यानी 11 से 201 सदस्युँ तक का था ।
 - इस तरह की वसलगतयलुँ लाभार्थी पंजीकरण प्रकरयलल के दुरान उचतल सतुयापन नयलतुरण की कमी का सुझाव देती हैं ।
- पेंशनभोगी को लाभ :
 - कुछ राज्युँ में पेंशनभोगयलुँ के पास PMJAY कारुड प्राप्त हुए, साथ ही वे इस योजना के अंतगत उपचार का लाभ उठा रहे थे ।
 - योजना से अयोग्य लाभार्थयलुँ को हटाने के लयल देरी से की गई कारुवाई के कारण अयोग्य द्यकतयलुँ को PMJAY के अंतगत लाभ प्राप्त हुआ ।
- फरुजी मोबाइल नंबर और आधार:
 - इससे जानकारी प्राप्त हुई ककुछ लाभार्थयलुँ को एक ही फरुजी मोबाइल नंबर से पंजीकृत कयल गया था, जसलसे संभवत: सतुयापन प्रकरयलल से समझुलता कयल गया ।
 - इसी तरह कुछ आधार नंबरुँ को कई लाभार्थयलुँ से जोड़ा गया था, जसलसे उचतल सतुयापन पर सवाल उठ रहे थे ।
- प्रणालीगत वफलताएँ:
 - CAG की रपुलरुट ने प्रणालीगत मुददुँ को प्रदरुशतल कयल, जसलमें सारुवजनकल अस्पताल-आरकषतल प्रकरयलल सुनशलुचतल करने वाले नजी अस्पताल, ढाँचागत अपरुयाप्तता, उपकरण की कमी के साथ चकलतलसा कदाचार के मामले भी शामिल रहे ।
 - परुयाप्त सतुयापन नयलतुरण का अभाव, अमान्य नाम, अवास्तवकल जन्म तथल, फरुजी PMJAY ID आदी
 - कई राज्युँ एवं केंदुरशासतल प्रदेशुँ में सूचीबद्ध अस्पतालुँ में उपलब्ध उपकरण गैर-कारुयातुमक पाए गए ।
- लंबतल जुरमाना:
 - रपुलरुट में 9 राज्युँ के 100 अस्पतालुँ पर 12.32 करोडु रुपए के लंबतल जुरमाने की बात सामने आई है ।
- योजना में डेटा संगरुहण:
 - यह संभव है ककुछ मामलुँ में कषेतुरीय सुतर के कारुयकरुतताओं द्वाारा कुछ यादुचुकल दस-अंकीय संखुया दर्ज की गई हो ।
 - इसके अतरकलत राष्टुरीय स्वास्थय प्राधकलरण (NHA) के वर्तमान IT पोर्टल में केवल वैध मोबाइल नंबर लेने हेतु आवशुयक सुधार हुए हैं, यदललाभार्थी के पास पूरुव में ऐसा नंबर है ।

सरकार द्वारा प्रमाणीकरण:

- मोबाइल नंबर और सत्यापन:
 - स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के सत्यापन के लिये मोबाइल नंबरों का उपयोग नहीं किया गया था।
 - यह योजना मुख्य रूप से आधार-आधारित ई-KYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करती है, जिसमें मोबाइल नंबरों का उपयोग सत्यापन के बजाय संचार और प्रतिक्रिया उद्देश्यों के लिये किया गया था।
- सत्यापित वकिलप:
 - NHA ने लाभार्थी सत्यापन के लिये फगिरप्रूटि, आईएसि स्कैन, फेस सत्यापन और ओटीपी जैसे कई वकिलप प्रदान किये हैं।
 - सामान्यतः फगिरप्रूटि-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है, जो लाभार्थी सत्यापन की सटीकता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

आयुष्मान भारत-PMJAY:

- परिचय:
 - PM-JAY पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
 - फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रतिपरिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
 - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और नदिन शामिल हैं।
- लाभ:
 - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:
 - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं वधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और वधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- नोडल एजेंसी:
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
 - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

आगे की राह

- PMJAY की अनयिमतिताएँ सुधारात्मक उपायों की मांग करती हैं, जिसमें योजना की अपेक्षित प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये कड़े लाभार्थी सत्यापन, अस्पताल नरीक्षण और एक मज़बूत शकियत नविवरण तंत्र शामिल है।

स्रोत: द ह्रि